पत्र सं0-सी0/ई0एच0-24/2016...3660.../जे0

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव, बिहार।

सेवा में,

महाधिवक्ता, बिहार,
उच्च न्यायालय, पटना

पटना, दिनांक...06-07-17

विषय:- **श्री सीता राम यादव, सरकारी वकील संख्या-16 के सहायतार्थ सहायक अधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक **श्री सीता राम यादव, सरकारी वकील संख्या**-16 के **पत्र संख्या-594, दिनांक-11.05.2017** से प्राप्त अनुशंसा के संदर्भ में सूचित करना है कि राज्य सरकार ने **श्री सीता राम यादव, सरकारी वकील संख्या-16** के सहायतार्थ पूर्व से नियुक्त सहायक अधिवक्ता श्री मनोज कुमार, पंजीयन संख्या-4547/1999 को सहायक अधिवक्ता के पद पर की गई नियुक्ति से विमुक्त करते हुये उनके स्थान पर अधिवक्ता **श्री फहाद खुर्शीद (Fahad Khurshid), पंजीयन संख्या**-2282/2012 को विधि विभागीय अधिसूचना संख्या-4421/जे0, दिनांक-20.07.2016 की कंडिका-9 के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त **दिनांक-17.04.2017** के प्रभाव से सहायक अधिवक्ता के रूप में नियुक्त करने की कृपा की है।

2. सहायक अधिवक्ता के रूप में इनकी सेवा इनके वरीय अधिवक्ता के सह-विस्तारी (Co-terminus) अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक सीमित रहेगी।

3. सहायक अधिवक्ता को वही शुल्कादि देय होगा जो विधि विभागीय पत्रांक-484/जे0, दिनांक-01.10.2012 द्वारा पूर्व से निर्धारित है।

विश्वासभाजन

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)
सरकार के सचिव, बिहार।

संख्या-...3660.../जे0, पटना, दिनांक...06-07-17

प्रतिलिपि:- **श्री सीता राम यादव, सरकारी वकील संख्या**-16 महाधिवक्ता का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना/विभागीय प्रशाखा-सी-2 **एवं विभागीय आई0टी0 प्रबंधक** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)
सरकार के सचिव, बिहार।

E:\Ajay Kumar\Secteatry\Sarkari Adv. doc